



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2636357 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/

1757

दिनांक:- 30/12/2021

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (09.12.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 25.11.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 3/2 रकबा 12.00.00 बीघा के फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री आवला पुत्र श्री पुनमा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट व दक्षिण दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु उत्तर दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि व दक्षिण दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 60 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोधपुरा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 22/2 रकबा 13.04.00 बीघा में से 12.19.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कोजाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कदमी मार्ग को 80 फीट व उत्तर दिशा में स्थित मार्ग को 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु पश्चिम दिशा में स्थित कदमी मार्ग को 80 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि व उत्तर दिशा में आवेदित खसरे की सीमा से 30'-30' फीट दोनों तरफ कुल 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प. 18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल किया जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 114, 115/1 रकबा 07.18.12 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गणपतलाल, श्री राजेन्द्र मंत्री पुत्र श्री हनुमानप्रसाद, श्री जितेन्द्र डागा पुत्र श्री बालकिशन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1. पत्रावली के साथ संलग्न रेलवे विभाग की अनापत्ति में एवं प्रस्तुत आवेदन में खसरा संख्या में भिन्नता है।
2. जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि रक्षा विभाग की 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है, अतः रक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।
3. विद्यमान सडक से आवेदित भूमि तक समर्पित पहुँच मार्ग के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे।
4. आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट रास्ते को निरन्तर आगे बढ़ाया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बिराई के खसरा संख्या 413/8 रकबा 02.05.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री देवाराम पुत्र श्री केवलराम, श्री सोनाराम पुत्र श्री राजुराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 113/9, 113/10, 113/11 रकबा 05.06.06 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री दिलीप पुंगलिया पुत्र श्री रामजीवन पुंगलिया, श्री विष्णुप्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड जरिये प्रतिनिधी श्री मनोहरलाल पुंगलिया पुत्र श्री रामजीवन पुंगलिया श्री रामजीवन पुंगलिया पुत्र श्री रणछोडदास पुंगलिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया:-

1. जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि रक्षा विभाग की 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है, अतः रक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. विद्यमान सड़क से आवेदित भूमि तक समर्पित पहुँच मार्ग के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे।
3. आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट रास्ते को निरन्तर आगे बढ़ाया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर
विषय :- राजस्व ग्राम भवाद तह. बावडी के खसरा संख्या 690/21, 690/22 रकबा 1.8526 है० में से 0.8729 है० के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती गंवरी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की पुस्तिका की General Conditions For development Control Regulations के बिन्दु संख्या 16 "Farm houses, Eco-Friendly Houses, Resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031." के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा नॉलेज सिटी में फार्म हाउस अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया। उक्त शर्त जोन स्तर पर पट्टे में उल्लेखित की जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर
विषय :- राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान् के खसरा संख्या 74/12 रकबा 04.04.00 बीघा में से 02.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में विद्युत लाईन के साथ-साथ पूर्व कमिटमेंटस अनुसार नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर तथा तत्पश्चात् 40 फीट सड़क का प्रावधान किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में राजस्व मानचित्र अनुसार नहर का सुपरइम्पोजिशन जोन स्तर से करवाया जावे तथा नहर की सीमा के उपरान्त जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में से 20 फीट वृक्षारोपण पट्टी तथा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क का प्रावधान



- किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान् के खसरा संख्या 74/14 रकबा 02.02.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री सुरेशचन्द्र गोयल

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में विद्युत लाईन के साथ-साथ पूर्व कमिटमेंटस अनुसार नियमानुसार सेप्टी कॉरीडोर तथा तत्पश्चात् 40 फीट सडक का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में राजस्व मानचित्र अनुसार नहर का सुपरइम्पोजिशन जोन स्तर से करवाया जावें तथा नहर की सीमा के उपरान्त जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में से 20 फीट वृक्षारोपण पट्टी तथा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सडक का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

(8)

एजेण्डा संख्या 10 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रूपसर (नेतडा) के खसरा संख्या 416/174 रकबा 05.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री सुखाराम पुत्र श्री मांगीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल किया जावे।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की पुस्तिका की General Conditions For development Control Regulations के बिन्दु संख्या 16 "Farm houses, Eco-Friendly Houses, Resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031." के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा यू-3 में फार्म हाउस अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया। उक्त शर्त जोन स्तर पर पट्टे में उल्लेखित की जावे।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम जाजीवाल गहलोतान् के खसरा संख्या 204/1 रकबा 12.09.00 बीघा के फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री सुखाराम पुत्र श्री भैराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा व पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार



- के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु उत्तर दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि व पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित कटाण/राजस्व रास्तों का सुपरइम्पोजिशन जोन स्तर से करवाया जावें।
 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 374/250, 250/1/2 रकबा 03.07.00 बीघा में से 01.02.10 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री नरेश गहलोत, श्री सुनील गहलोत पुत्रान् श्री छंवरसिंह गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल किया जावें।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम निम्बारिया (मूल लवेरा खुर्द) के खसरा संख्या 487/230 रकबा 1.2863 है० में से 01.19.14 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री पाबुराम पुत्र श्री मेवाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर से नागौर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मानचित्र प्रस्ताव अनुसार 264 फीट रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे एवं इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे।
2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे।
4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।
5. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधियों के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 104/1, 105/1, 107, 107/2 रकबा 07.00.00 बीघा के रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री बीरमसिंह उर्फ ब्रह्मसिंह पुत्र श्री शेराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 200 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2018 अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम पालडी खिचियान् के खसरा संख्या 79 रकबा 21-13-00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती कमला बाई भील पत्नी श्री भगवानाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित खसरा संख्या 67 (गै.मु. नहर) के सहारे-सहारे बफर हेतु जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी तथा 18 मीटर प्रस्तावित सडक का प्रावधान किया जावे।
2. शेष शर्तें दिनांक 23.08.2018 को आयोजित बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार यथावत रहेंगी।

एजेण्डा संख्या 16 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रामपुरा भाटियान् के खसरा संख्या 35/2 रकबा 02-16-00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री पुखराज पुत्र श्री बाबूलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु कटाण मार्ग को 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेप्टी कोरिडोर छोडा जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।


एजेण्डा संख्या 17 :- (09.12.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 534/352 रकबा 16-00-00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- सदाशिव साइलियम प्रा. लि. डायरेक्टर सुनिल मेहन्दीरत्ता

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि उम्मेद नगर-नागौर राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. प्रकरण में कृषि आधारित उद्योग भूखण्ड हेतु राजस्थान कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही ले-आउट प्लान जारी किए जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।
3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जावे।
4. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,


जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 1758-62

दिनांक:- 30/12/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।



उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

